सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 243/2023

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

हरजीत सिंह पुत्र श्री बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. बलराज सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. गगनदीप कौर पुत्री श्री बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. रजनदीप कौर पुत्री श्री बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. इन्द्रजीत कौर पुत्री श्री बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 10.6.2023

वादी हरजीत सिंह ने प्रतिवादीगण बलराज सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादीया सं. 2 ता 4 वादी की बहिने है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादीया सं. 2 ता 4 के पिता के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 73/20 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.010 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण

लगातार --2

10/6/23
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल..

तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीव प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंट्वारानुसार कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 18 ए.एम.पी. में प्राप्त कर ली है। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी को बंट्वारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:-

(क) **वादी हरजीत सिंह पुत्र श्री बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 73/20 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.010 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 4 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 5 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 73/20 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण पेश नही की गई।

10/6/23
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल ......

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीया सं. 2 ता 4 के पिता के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 73/20 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.010 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 73/20 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.010 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/6/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 शिविर स्थल ...

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 243/2023

हरजीत सिंह पुत्र श्री बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. बलराज सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. गगनदीप कौर पुत्री श्री बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. रजनदीप कौर पुत्री श्री बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. इन्द्रजीत कौर पुत्री श्री बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.</u>

दिनांक :- 10.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 73/20 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.010 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X..... निल ......X..... मुब्लिक ....X.........निल ......X...... बाबत् ......X...... निल......X........ खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X.........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक ..10/6/2023... को जारी किया जाता है।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

10/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी,

संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

शिविर स्थल ...